न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

करण संख्याः 42/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. शिशपाल पुत्र श्री सुण्डाराम जाति जाट निवासी चैनपुरा (धींगपुर)तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। –प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थी की ओर सें।

निर्णय — दिनांक – **04.12.2019**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 0.73 है0, ख0नं0 120 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 121 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 122 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 123 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 124 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 125 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 126 रकबा 1.30 है0, ख0नं0 127 रकबा 1.55 है0 किता 9 कुल रकबा 8.18 है0 वाके ग्राम चैनपुरा प0ह0 धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिनमें प्रार्थी दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार रहकर उपयोग उपभोग कर रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रिछपाल पुत्र सुण्डाराम के नाम सें दर्ज है जिनमें एकरूपता नहीं है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शिशपाल पुत्र सुण्डाराम है जो निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का नाम शिशपाल पुत्र सुण्डाराम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड जमांबंदी में संहवन सें प्रार्थी का नाम रिछपाल दर्ज है जो गलत है। इनकी जगह प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शिशपाल उद्घोषित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। अतः आवेदन पत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी डिकी किया जाकर विवादित आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 0.73 है0, ख0नं0 120 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 121 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 122 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 123 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 124 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 125 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 126 रकबा 1.30 है0, ख0नं0 127 रकबा 1.55 है0 किता 9 कुल रकबा 8.18 है0 वाके ग्राम चैनपुरा प0ह0 धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

शिशपाल उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रार्थी का नाम रिछपाल के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शिशपाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी स्वयं तथा सहखातेदार मदनलाल पुत्र सुण्डाराम जाति जाट निवासी चैनपुरा के बयानात लिये गये जिनमें सहखातेदार मदनलाल ने उक्त वांछित दुरूस्ती करने हेतु अनापत्ति जाहिर की तथा प्रार्थी के गलत रूप सें अंकित नामों को दुरूस्त कर शिशपाल दर्ज करने हेतु आग्रह किया। आवेदन पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए संहवन सें गलत अंकित प्रार्थी के नाम को दुरूस्त कर सही व वास्तविक नाम शिशपाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। सहखातेदार के बयानात पर गौर किया गया। चूंकि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदीयों में एकरूप नहीं है अतः **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा सहखातेदार के बयानों के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चैनपुरा (धींगपुर) तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 0.73 है0, ख0नं0 120 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 121 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 122 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 123 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 124 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 125 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 126 रकबा 1.30 है0, ख0नं0 127 रकबा 1.55 है0 किता 9 कुल रकबा 8.18 है0 में खातेदार प्रार्थी का नाम रिछपाल पुत्र सुण्डाराम के स्थान पर शिशपाल पुत्र सुण्डाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner